राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/ 23712 दिनांक 16 जुलाई, 2020

:: आदेश ::

भीलवाडा जिले में विभिन्न उपखण्ड़ क्षेत्रों में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से नागरिकों में संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर कार्यालय के निम्न आदेश से **दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत** निम्नांकित क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र में सख्त निषेधाज्ञा लागु कर उस क्षेत्र को **ZeroMobility&ContainmentArea (लॉकिंग एरिया–जनसाधारण का सख्ती से आगमन–निर्गमन निषेध क्षेत्र) घोषित किया गया हैं।**

जिले के निम्न प्रतिबन्धित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा अवधि के दौरान कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति चिन्हित नहीं होने एवं प्रतिबन्धित क्षेत्र के संक्रमित व्यक्ति को जिला चिकित्सालय से पूर्ण स्वस्थ होने के उपरान्त मुक्त किये जाने से निम्न क्षेत्र में निवासरत जनसाधारण को संभावित किसी असुविधा के निवारण के प्रयोजन से **मैं शिवप्रसाद एम. नकाते, जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के निम्न **Zero Mobility & Containment** क्षेत्रों में लागू **सख्त निषेधाज्ञा को** तत्काल प्रभाव से **प्रत्याहरित करता हूं** :–

क्र. सं.	आदेश क्रमांक, दिनांक	नाम उपखण्ड़	जीरो मोबिलिटी ऐरिया
1.	क्रमांक – 23407 दि0 – 20.06.2020	रायपुर	उपखण्ड़ क्षेत्र **रायपुर** के **ग्राम पीथा का खेडा में निवासरत** कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्री मीठालाल जैन के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुये **पूर्व दिशा** में बस स्टेण्ड तक **पश्चिम दिशा** में रा0उ0मा0वि0 पीथा का खेडा तक एवं **उत्तर दिशा** में 200 मीटर तक परिधिय क्षेत्र की सीमा तक **दक्षिण दिशा में** 100 मीटर की परिधि तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में।
2.	क्रमांक – 23574 दि0 – 09.07.2020	रायपुर	उपखण्ड़ क्षेत्र **रायपुर** के **ग्राम झडोल में निवासरत** कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्री जयंती लाल पिता गोपी लाल सोनी के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुए **पूर्व दिशा में** नगजीराम जाट के मकान तक **पश्चिम दिशा** में आम चौराया झडोल के परिधीय क्षेत्र में एवं **उत्तर दिशा में** श्री फतेहलाल महाजन के मकान तक **दक्षिण दिशा में** बडवा समाज के मकान तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में।
3.	क्रमांक – 23547 दि0 – 06.07.2020	करेडा	उपखण्ड़ क्षेत्र **करेडा** के **ग्राम बेमाली में निवासरत** कोरोना संक्रमित व्यक्ति मनोहरबाई पत्नी रोशनलाल महाजन के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुए **पूर्व दिशा में** गेहरीलाल पि0 भीमराज नगावत के मकान व घाटी वाली पोल तक **पश्चिम दिशा में** चारभुजा जी के मन्दिर व जगदीश ब्राह्मण के मकान तक **उत्तर दिशा में** गेमाली से ढाणिया सोमानिया जाने वाले रास्ते तक **दक्षिण दिशा में** जसवन्त सिंह पि0 लक्ष्मण सिंह के मकान तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में।

Scanned with CamScanner

4	क्रमांक – 23574 दि0 – 09.07.2020	जहाजपुर	उपखण्ड क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम पीपलुन्द मे देवजी के थडे के पास वार्ड न0 11 मे श्रीमती प्रियंका मंत्री के **मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुये उत्तर दिशा में** श्री घनश्याम मंत्री पिता श्री रामपाल मंत्री के मकान तक **दक्षिण दिशा में** गोविन्द गोड पिता श्री जमनालाल गौड़ के नोहरे तक **पूर्व दिशा में** नारायण खाती के मकान तक **पश्चिम दिशा में श्री मुलचन्द पिता श्री मोहन लाल शर्मा के मकान तक की** सम्पूर्ण सीमा क्षैत्र में।

यह आदेश आज **दिनांक 16 जुलाई 2020 को सांय 6:00 बजे** से मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया हैं।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

14. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
15. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर
16. संभागीय आयुक्त, अजमेर
17. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
18. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
19. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।
20. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
21. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
22. उपखण्ड मजिस्ट्रेट रायपुर, करेडा
23. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार, जिला भीलवाड़ा
24. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में समुचित प्रबन्धन किया जाना सुनिश्चित करें।
25. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा
26. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

Scanned with CamScanner